न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 45/2019 पुनः दर्ज 116/2019

शीर्षक

गैंदी देवी पत्नी रामेश्वर जाति मीणा नि. ग्राम बिशनगढ़ तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. विनय शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा ब्राहमण नि. डब्लू.जेड–45 ग्राम नीमडी, शास्त्री नगर, दिल्ली–52
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
3. उपपंजीयक, उपपंजियक कार्यालय शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
4. शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी बैंक, शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा ,बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/4/21

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं. 642 के ख.नं. 1121/0.84 है0 कुल किता 1 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 75/84 तथा प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 9/84 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल सहखातेदार काश्तकार है मौके पर अलग अलग काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी में वादिया अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 भी अपने हिस्से पर काबिज होकर अपनी खरीदशुदा भूमि में जाने के लिए पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण तक कंकरीट सड़क व पुख्ता तामीरात पर काबिज है। उक्त विवादित आराजी का वादीया व प्रतिवादी के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादिया अपने हिस्से की भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिए किस्म परिवर्तन करवाना चाहती है, जिसके लिए वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा करवाने की कही तथा प्रतिवादी सं. 1 ने हामी भर दी लेकिन समयाभाव बताकर टालमटोल करता रहा है तथा कानूनी बंटवारा करवाने को तैयार नही है जबकि प्रतिवादी सं. 1 का ऐसा करना गलत एवं गैरकानूनी है।

दिनांक 27.07.2019 को वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से तकास्मा करवाने की बात कही तो प्रतिवादी सं. 1 तकास्मा करवाने से साफ इंकारी हो गये तथा वादीया के साथ आमादा फिसाद हो गया तथा एलानियां धमकिया दी कि आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भूभाग को बिना बंटवारा करवाये ही अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगे तथा अजनबी व्यक्ति द्वारा वादीया को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेगे। अगर प्रतिवादी सं. 1 अपने अवैध मन्सूबों में सफल हो गया और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियों को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियों का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नही की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीया को यह वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्व आराजी का बंटवारा कराने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ ।

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कर वादीया/प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पूर्व में हुए कब्जे काश्त के अनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधाकारित ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। दिनांक 21.08.2019 व दि. 20.09.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 20.09.2019 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 19.12.2019 को वकील प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आदेश–9 नियम–7 सीपीसी0 पेश किया गया। वकील उभयपक्ष को प्रा0पत्र पर सुना गया। वकील वादी को प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर कोई आपत्ति नहीं है प्रा0पत्र आदेश–9 नियम–7 सीपीसी0 स्वीकार किया गया।

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

दिनांक 15.04.2021 को प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आ.ख.नं. 1121/0.84 है0 भूमि वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **गैंदी देवी पत्नी रामेश्वर जाति मीणा सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 1121 रकबा 0.75 है0 भूमि रहेगी।**

2. **विनय शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा जाति ब्राहमण खातेदार के हिस्से में आ.खा.नं. 1121 मिन 0.09 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.